न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 217 / 2024 (GCMS : 2024/ 310)

1. **बलविन्द्र** पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी घमूडवाली, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री अजीत गोदारा,** उपखण्ड अधिकारी पदमपुर
2. **सरस्वती** पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **बृजलाल** पुत्र श्री भादरराम (मृतक)
   3/1 सरोज पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **पवन कुमार** पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की, शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अनवानी बलविन्द्र बनाम सरस्वती व अन्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परीक्षण का पालन किये बिना एवं जवाब प्राप्त किये बिना ही उक्त मामला को शीघ्र पेशी में लिया जाकर स्थगन हटाये जाने की कार्यवाही की गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि विवादित रकबा प्रार्थी के परिवार का कब्जा काश्त की भूमि है एवं प्रार्थी पक्ष में रजिस्टर्ड वरीयत भी जारी की हुई है परन्तु अप्रार्थी अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है जो की राजनैतिक प्रभाव के कारण अक्सर पीठासीन अधिकारी के आपस में आते [illegible] गया है एवं अप्रार्थीगण द्वारा एलानिया भी कहा गया है कि [illegible] गयी है एवं शीघ्र ही जारी स्थगन खारिज हो जायेगा और [illegible] रकबा को अन्य को

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

देगें। इसलिए उक्त मामला को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान उठाना पडेगा। इसलिए न्यायहित में उक्त मामला में प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त पत्रावली को अन्य उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी बदनियती से अधीनस्थ न्यायालय में झूठा व आधारहीन दावा दिनांक 25.11.2024 को प्रस्तुत किया और दिनांक 25.11.2024 को ही अप्रार्थीगण खातेदार को बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी कर दिया और प्रथम तारीख पेशी 23.12.24 निर्धारित की और निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 19.12.2024 को झूठे तथ्यों के आधार श्रीमान न्यायालय में मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया।

उनका आगे यह भी कथन है कि वादी/प्रार्थी का अपीलाधीन भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है और कानून का दुरूपयोग करते हुए वादी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त किया और तथ्यों के विपरीत गलत कथन करते हुए यह आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी सरस्वती विधवा, वृद्ध औरत है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सरस्वती की भूमि हड़प करने के लिए झूठा दावा पेश किया है। अप्रार्थीगण का कोई राजनैतिक प्रभाव व दबाव नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार, विधि विरूद्ध, कानून का दुरूपयोग करते हुए प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैनें, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 24.04.2025 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायलाये में 82,188 [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 439/2024 [illegible] सरस्वती व अन्य को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्राथेना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी के द्वारा लगाये गये आरोपो का खण्डन करते हुए उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:18 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को धारा 188, 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थी बलविन्द्र सिंह द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के कारण उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है, जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। **न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्धान्त को कि "केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए" के ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें।** निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी [illegible] को पालनार्थ भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल द[illegible] हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:59:18 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर